निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 11/2021 (रसद अपील)

श्री विश्राम मीणा पुत्र श्री रूप सिंह निवासी प्लाट नम्बर ए–10, कबीर कालोनी, सुशीलपुरा अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर। संचालक मैसर्स जयपुर केरोसीन रिक्शा पोलर यूनियन उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए जयपुर शहर

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम दिनांक 22.07.2020 प्रकरण संख्या 580/2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्यि दुकान संख्या 681 ए, जयपुर शहर केरोसीन रिक्शा पोलर यूनियन का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा गेहूँ कें बाजार मूल्य की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 06.09.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी विश्राम मीणा पुत्र श्री रूप सिंह निवासी प्लाट नम्बर ए–10, कबीर कालोनी, सुशीलपुरा अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर मैसर्स जयपुर केरोसीन रिक्शा पोलर यूनियन उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 22.07.2020 प्रकरण संख्या 580/2020 से प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं खाद्यान्न की अपयोजित मात्रा के बाजार मूल्य की वसूली किये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी राशन डीलर है एवं अपीलार्थी के नाम से दुकान संख्या 681 ए चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का लाईसेन्स जारी किया हुआ था एवं जयपुर केरोसीन रिक्शा पोलर यूनियन के अन्तर्गत अपीलार्थी को राशन डीलर बना कर लाईसेन्रा जारी किया हुआ है ।

जिला कलक्टर
जयपुर

सन् 1981 से अपीलार्थी राशन डीलर के रूप में कार्य कर रहा है तथा अपनी सेवायें निरन्तर देता चला आ रहा है। राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलार्थी के विरूद्व कोरोना महामारी का फायदा उठा कर झूंठी शिकायतों के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं बाला बाला एक पक्षीय रूप से कार्यवाहियां करते हुये दिनांक 22.07.2020 को अपीलार्थी का राशन डीलर लाईसेन्स पूर्ण रूप से निरस्त करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस आवश्यक बिन्दू पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी सन् 1981 से निरन्तर बतौर राशन डीलर अपनी सेवाये दे रहा है एवं अपीलार्थी के विरूद्व पूर्व में कभी कोई शिकायत नही हुई है ना ही अपीलार्थी कभी अनियमितता करते हुये या किसी प्रकार का कोई गबन करते हुये नहीं पाया गया । राजनैतिक द्वेषता के कारण कोरोना महामारी का फायदा उठा कर अपीलार्थी के विरूद्व गलत प्रकार से कार्यवाही करते हुये अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा के अनुदानित 242.22 क्विंटल गेहूं का निजी लाभार्थ हेतु दुरूपयोग करने का दोषी मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17, (ग) और 18 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी के द्वारा माह मई 2020 में अथवा उससे पूर्व कभी भी 242.22 क्विंटल गेहूं का निजी लाभार्थ दुरूपयोग नहीं किया गया ना ही खुर्द बुर्द किया गया। अपीलार्थी के विरूद्व दिनांक 26.05.2020 को आधार बना कर गलत कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी के द्वारा मई 2020 में नियमानुसार गेहूं का वितरण राशनकार्ड धारियों को किया गया एवं समस्त वितरण पोश मशीन के जरिये अगूंठे लगवा कर किया गया। जिसका ऑन लाईन रिकार्ड मौजूद है, परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी को निजी लाभार्थ हेतु अनुदानित गेहूं खुर्द बुर्द करने का दोषी मानते हुये एक पक्षीय निर्णय दिनांक 22.07.2020 पारित कर अपीलार्थी का राशन डीलर लाईसेन्स निरस्त करने मे कानूनी भूल कारित की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए के साथ उचित मूल्य दुकान संख्या 555, 658 अटैच थीं एवं उचित मूल्य की दुकान संख्या 555 प्रेम लता शर्मा के नाम एवं 658 रामसिंह राणा के नाम से जारी की गई थी। इन दोनों उचित मूल्य की दुकानों के जरिये जो माल वितरण किया गया उसकी पोस मशीनें इन दोनों को दिनांक 01.04.2020 को ही संभला दी गई थी एवं उचित मूल्य की दुकान संख्या 555 व 658 से अपीलार्थी का कोई लेना देना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दिनांक 01.04.2020 के पश्चात नहीं रहा, परन्तु इसके बावजूद अपीलार्थी को ही इन दोनों उचित मूल्य की दुकानों के जरिये वितरण होने वाले अनुदानित गेहूं को खुर्द बुर्द किये जाने का दोषी मानते हुये उक्त निर्णय अपीलार्थी के विरूद्व जारी कर उसका राशन डीलर लाईसेन्स निलम्बित किये जाने का कानूनी भूल कारित की गई है । दिनांक 26.05.2020 को अपीलार्थी के द्वारा दुकान खोली गई थी, परन्तु कोरोना महामारी के चलते जुखाम होने के कारण अपीलार्थी घर चला गया था एवं तबीयत खराब होने क कारण अपीलार्थी वापस दुकान पर नहीं आ पाया एवं अपने भतीजे कमल सिंह को दिनांक 29.05.2020 को दुकान खोल कर अनुदानित गेहूं वितरण हेतु भेजा गया। कमल सिंह द्वारा गेहूं वितरण किया जा रहा था एवं काफी गेहूं/दाल वितरण की जा चुकी थी, परन्तु आपस में लोगों के भिड जाने एवं झगंड़ा होने का अंदेशा होने के कारण एवं पुलिस थाना प्रताप नगर की पी सी

जिला कलक्टर
जयपुर

आर द्वारा दुकान बंद करवा दिये जाने के कारण अपीलार्थी के भतीजे कमल सिंह द्वारा बची हुई दाल एवं गेंहू दुकान नम्बर 676 ए के संचालक प्रकाश जैन को सुपुर्द कर दिया गयाा एवं जो माल वितरण किया गया उसकी आन लाईन पोस मशीन के जरिये एन्ट्री है। अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन नही किया गया एवं ना ही अनुदानित खाद्य को खुर्द बुद किया गया है, बावजूद इसके अपीलार्थी को गबन का दोषी मानकर निर्णय दिनांक 22.07.2020 पारित किये जाने मे कानूनी भूल की है। जिन राशनकार्ड धरियों द्वारा राशन लिया गया उनके राशन कार्डो में अनुदानित खाद्य गेहूं/दाल प्राप्ति का इन्द्राज किया हुआ है जिसकी प्रतियां अपीलार्थी के पास मौजूद है। बावजूद इसके अपीलार्थी के विरूद्व गलत तरीके से विभागीय कार्यवाही कर उसका लाईसेन्स निरस्त किया गया हैं एवं उपरोक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कोरोना महामारी के कारण एवं अपीलार्थी का एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से अपीलार्थी समयावधि मे अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । विलम्ब के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अत विलम्ब अवधि का कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम का अलौच्य आदेश 22.07.2020 को निरस्त करने के आदेश फरमावें ।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए जयपुर केरोसीन पोलर यूनियन के संचालक विश्राम सिंह ने दुकान के संचालन मे गम्भीर अनियमितता एवं गेहूं स्टॉक में कम उपलब्धता मात्रा 87.53 क्विंटल एवं दाल 103 किलोग्राम मात्रा को निजी हित में अपयोजन/गबन का खुर्द बुर्द कर दिया। इसके अलावा 681 ए के अथाई रूप से सम्बन्ध उचित मूल्य दुकान 658 से 153 राशन कार्डो पर संदिग्ध लेनदेन करके 30.94 क्विंटल गेहूं एवं अस्थाई सम्बन्ध उचित मूल्य दुकान संख्या 555 के 332 राशन कार्डो पर 75.58 क्विंटल गेहूं का संदिग्ध लेनदन करके निजी हित में अपयोजन/गबन कर खुर्द बुर्द कर दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम में विचाराधीन अन्य जांच प्रकरण संख्या 495/2019 के अनुसार कुल 140 कि.ग्रा. गेहूं का अवैद्य आहरण कर गबन किया गया है। उक्तानुसार विश्राम सिंह पुत्र श्री रूप सिंह निवासी मकान नम्बर 10 कबीर मार्ग कालोनी सुशीलपुरा सोडाला जयपुर ने तीनों उचित मूल्य दुकानों के संचालन में गम्भीर अनियमितता एवं गेहूं की कुल मात्रा 195.45 क्विंटल और दाल की 103 किलोग्राम को निजी हित में अपयोजन गबन करके खुर्द बुर्द कर दिया गया। मुख्य कार्यकर्ता विश्राम सिंह उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए एवं इसके साथ अस्थाई सम्बघ उचित मूल्य दुकान संख्या 555 एवं 658 के संचांलन में गम्भीर अनियमितता एवं गेहूँ मात्रा 195.45 क्विंटल तथा दाल की मात्रा 103 किलोग्राम का अवैद्य अपोजन किया जाना प्रमाणित होने एवं डीलर द्वारा की गई उक्त अनियमितताए केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1986 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के 1976 के अन्तगर्त जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8, 11,14, 17 व 18 का उल्लघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है डीलर विश्राम सिंह के विरूद्व पुलिस थाना सांगानेर में एफ आई आर संख्या 304 दिनांक 09.07.2020 दर्ज कराई जा चुकी है। अपीलार्थी डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने एवं उक्तानुसार अन्य गम्भीर अनियमितताऐं एवं खाद्यान्न का अपयोजन

जिला कलक्टर
जयपुर

कारित करने के कारण उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए मैसर्स जयपुर केरोसीन रिक्शा पोलर यूनियन का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। साथ ही डीलर से अपयोजित मात्रा के बाजार मूल्य की वसूली के आदेश दिये गये है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. प्रथम, अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 119003218082 में माह जुलाई व अगस्त 2019 का गेहूं उपभोक्ता को नही दिये जाने एवं राशन कार्ड संख्या 119003218082 में सितम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 में गलत आधार कार्ड से 90 किलोग्राम गेहूं निकालने का आरोप है । इस बाबत अपीलार्थी का कथन है कि उपभोक्ता को ओ टी पी द्वारा गेहूं दिया गया है। डीलर द्वारा आधार कार्ड फीड नही किये गये है। द्वितीय, उचित मूल्य दुकान संख्या 681 ए. व अस्थाई रूप से सम्बद्ध उचित मूल्य दुकान संख्या 555 व 658 के संचालन में अपीलार्थी द्वारा अनियमिता कर 195.45 गेहूं व 103 किलोग्राम दाल का अपयोजन कर गबन करने का आरोप है। इस बाबत अपीलार्थी का कथन है कि सम्बद्ध दुकान संख्या 555 व 658 की पोश मशीनें संबंधित को दिनांक 01.04.2020 को ही सम्भला दी गई थी। अपीलार्थी डीलर द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवार दिये बिना जिला रसद अधिकारी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर के पत्रावली संख्या 580/2020 की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया है कि किसी भी आदेशिका में अपीलार्थी डीलर उपस्थित हुआ या नहीं इसका कोई उल्लेख नही है। जबकि वर्ष 2020 व 2021 मे कोराना महामारी की वजह से माननीय उच्च न्यायायल द्वारा किसी भी पक्षकार के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 22.07.2020 को अपीलार्थी के विरूद्व आलौच्य आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है । इससे अपीलार्थी के कथन को बल मिलता है। अतः जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2020 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश व निर्णय दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। तब तक अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक **06.09.2022** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर